महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की 58वीं बैठक

दिनांक

07 जून, 2018

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 58वीं बैठक

कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की 58वीं बैठक दिनांक 07 जून, 2018 को दोपहर 2.00 बजे बृहस्पति भवन स्थित विद्या परिषद् कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः-

1. प्रो. विजय श्रीमाली, कुलपति	अध्यक्ष
2. प्रो. सतीश अग्रवाल, संकायाध्यक्ष- स्नातकोत्तर अध्ययन	सदस्य
3. प्रो मनोज कुमार, विभागाध्यक्ष- प्रबन्ध अध्ययन	सदस्य
4. प्रो. बी.पी. सारस्वत, विभागाध्यक्ष- वाणिज्य	सदस्य
5. प्रो. भारती जैन, विभागाध्यक्ष- खाद्य विज्ञान एवं पोषण	सदस्य
6. प्रो. रीटा मेहरा, विभागाध्यक्ष- शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन	सदस्य
7. प्रो. आशीष भटनागर, विभागाध्यक्ष- सूक्ष्म जीव विज्ञान	सदस्य
8. प्रो. शिवदयाल सिंह, विभागाध्यक्ष- अर्थशास्त्र	सदस्य
9. प्रो. अरविन्द पारीक, विभागाध्यक्ष-वनस्पतिशास्त्र	सदस्य
10. प्रो. सुभाष चन्द्रा, विभागाध्यक्ष-प्राणीशास्त्र	सदस्य
11. डॉ. डी.के. सिंह, संकायाध्यक्ष एवं प्राचार्य	सदस्य
12. डॉ. नगेन्द्र सिंह, संकायाध्यक्ष- शिक्षा	सदस्य
13. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर	सदस्य
14. कुलसचिव	सदस्य सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके:-

1. प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, विभागाध्यक्ष- जनसंख्या अध्ययन	सदस्य
2. प्रो. सुब्रतो दत्ता, संकायाध्यक्ष - महाविद्यालय	सदस्य
3. प्रो. नीरज भार्गव, विभागाध्यक्ष- कम्प्यूटर विज्ञान	सदस्य
4. प्रो. प्रवीण माथुर, संकायाध्यक्ष- छात्र कल्याण	सदस्य
5. आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर ।	सदस्य
6. डॉ. एस.के. देव, प्राचार्य, एस.पी.एस. राजकीय महाविद्यालय, अजमेर ।	सदस्य
7. श्री बी.एल. मालवीय, प्राचार्य, एम.एल.वी. राज. महाविद्यालय, भीलवाड़ा ।	सदस्य
8. श्रीमती स्नेह सक्सैना, प्राचार्य-राजकीय महाविद्यालय, पुष्कर (अजमेर)	सदस्य
9. प्रो. सीमा मलिक, अंग्रेजी विभाग, सोशल साईस एण्ड ह्यूमिनिटी कॉलेज, उदयपुर ।	सदस्य
10. प्रो. ए.आर. गर्ग, एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर ।	सदस्य

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलसचिव को विद्या परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग/ विभाग
मद सं. 1	विद्या परिषद् की दिनांक 27.09.2017 को सम्पन्न हुई 57वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (57) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2018/824-47 दिनांक 10.01.18 को प्रेषित की गई ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	**कार्यवृत्त की पुष्टि इस प्रेक्षण के साथ की गई कि अध्ययन बोर्डों/पाठ्यक्रम समितियों में सक्षम स्वीकृति से विशेष आमंत्रित बुलाये जा सकेंगे।**	
मद सं. 2	निम्नलिखित अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समितियों की उनके नाम के सम्मुख वर्णित दिनांक को सम्पन्न बैठक की अनुशंषाओं पर विचार करना:-	शैक्षणिक-I

क्र.सं.	संकाय का नाम	अध्ययन बोर्ड/ पाठ्यक्रम समिति का नाम	बैठक दिनांक	परिशिष्ठ
1	शिक्षा संकाय	शिक्षा पाठ्यक्रम समिति	12.05.18	1
		शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम समिति	22.01.18	1-ए
2	विज्ञान संकाय	रसायनशास्त्र अध्ययन बोर्ड	27.04.18	2
		टैक्सटाईल केमेस्ट्री पाठ्यक्रम समिति	28.04.18	3
		एप्लाइड केमेस्ट्री पाठ्यक्रम समिति	25.04.18	4
		पर्यावरण विज्ञान पाठ्यक्रम समिति	06.12.17	5
		कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम समिति	25.04.18	6
		गृह विज्ञान अध्ययन बोर्ड	09.04.18 एवं 16.04.18	7
		खाद्य एवं पोषण अध्ययन बोर्ड	06.12.17	8
		सूक्ष्मजीव विज्ञान अध्ययन बोर्ड	06.12.17	9
		कम्प्यूटर साईंस एण्ड आई.टी. अध्ययन बोर्ड	23.04.18	10

		प्राणीशास्त्र अध्ययन बोर्ड	11.04.18	11
		भू-गर्भ शास्त्र पाठ्यक्रम समिति	12.03.18	12
		भौतिकशास्त्र अध्ययन बोर्ड	07.12.17 एवं 16.03.18	13
3	कला संकाय	राजस्थानी पाठ्यक्रम समिति	25.04.18	14
		अंग्रेजी अध्ययन बोर्ड	08.12.17	15
		हिन्दी अध्ययन बोर्ड	21.03.18	16
4	समाज विज्ञान संकाय	जनसंख्या अध्ययन पाठ्यक्रम समिति	07.10.17	17
		अर्थशास्त्र अध्ययन बोर्ड	15.01.18	18
		समाजशास्त्र अध्ययन बोर्ड	27.11.17	19
6	वाणिज्य संकाय	व्यावसायिक प्रशासन	19.12.17	20
		ए.बी.एस.टी. अध्ययन बोर्ड	21.03.18	21
7	प्रबन्ध अध्ययन संकाय	व्यावसायिक अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम समिति	15.01.18	22

निर्णय	**उपर्युक्त वर्णित अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समितियों की पाठ्यक्रम संबंधी अनुशंषाओं को स्वीकार किया गया ।**	
मद सं. 3	डॉ0 राजेन्द्र जोशी, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के पत्र क्रमांक प 18 (2) शिक्षा-4/2015 विधि/पार्ट जयपुर दिनांक 22.12.17(**कार्यसूची का परिशिष्ठ-23**) में योग एवं आत्मरक्षा विषयों को पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है । योग एवं आत्मरक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने पर विचार कर निर्णय करना ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	**उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार कर अनुशंषा देने हेतु प्रकरण संकायाध्यक्ष समिति (Dean Committee) को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया ।**	
मद सं. 4	श्री जी. विश्वनाथप्पा, प्राचार्य क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर ने पत्र क्रमांक F- 9-B-13/2015-16/377 Dated 23-04-2018 (**कार्यसूची का परिशिष्ठ-24**) के द्वारा क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान के एम.एड., बी.एड., बी.एससी बी.एड एवं बी.ए. बी.एड. के पाठ्यक्रमों में Semester-CBCS (Choice Based Credit System) लागू करने के संबंध में निवेदन किया है । क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान के उक्त पाठ्यक्रमों में Semester-CBCS (Choice Based Credit System) लागू करने पर विचार कर निर्णय करना ।	शैक्षणिक-I

निर्णय	उपर्युक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।	
मद सं. 5	कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 5 अगस्त, 2016 के कार्यवृत्त के पृष्ठ संख्या 10 पर बिन्दु संख्या 12 (ii) (कार्यसूची का परिशिष्ट-25) मूक बधिर विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के क्रम में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:- ''गत बैठक में अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने के निर्णय की निरन्तरता में समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों द्वारा अब मूक-बधिर विद्यार्थियों को बिना मेरिट के सीधे प्रवेश एवं निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।'' अतः कुलपति समन्वय समिति के उपरोक्तानुसार निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में मूक-बधिर विद्यार्थियों को बिना मेरिट के सीधे प्रवेश एवं निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में विचार कर निर्णय करना ।	शैक्षणिक-II
निर्णय	उपर्युक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया । साथ ही राज्य सरकार द्वारा जिन्हें शहीद का दर्जा दिया गया है उनके आश्रितों को भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया ।	
मद सं. 6	श्री अनूप कुमार, संकायाध्यक्ष-कला संकाय का स्थानान्तरण जालंधर हो जाने के कारण संकायाध्यक्ष-कला का स्थान रिक्त हो गया है । प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान संकाय तथा श्री डी.के. सिंह, संकायाध्यक्ष-विधि संकाय का कार्यकाल दिनांक 10.06.2018 को पूर्ण हो रहा है । अतः विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 के परिनियम 2 (2) के तहत निम्नलिखित संकायाध्यक्षों की नियुक्ति किये जाने पर विचार कर निर्णय करना:- 1. संकायाध्यक्ष, कला 2. संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान 3. संकायाध्यक्ष, विधि	शैक्षणिक-I
निर्णय	विद्या परिषद् की बैठक में उपस्थित सदस्यों को संकायाध्यक्ष-कला, संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान एवं संकायाध्यक्ष-विधि की नियुक्ति हेतु बैलेट पेपर दिया गया, जिनमें से एक सदस्य प्रो. रीटा मेहरा ने इस प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। शेष उपस्थित सदस्यों ने सर्वानुमति से प्रो. शिव दयाल सिंह, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग को संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान एवं डॉ0 डी.के. सिंह, प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर को संकायाध्यक्ष-विधि नियुक्त करने का निर्णय लिया । संकायाध्यक्ष, कला संकाय हेतु मद आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।	
मद सं. 7	माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( )संस्था/मदसविवि/2018/177 दिनांक 21.05.18 के द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की भर्ती हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम एवं अध्यादेश के	संस्थापन

	अनुसार भर्ती से संबंधित कार्य यथा-विज्ञापन तैयार करना, भर्ती प्रक्रिया की शर्तें, आवेदन-पत्र का प्रारूप एवं पदों के अनुरूप योग्यता (अनिवार्य एवं वांछित) इत्यादि तैयार करने हेतु गठित समिति की अनुशंषाओं पर विचार कर निर्णय करना ।	
निर्णय	**उपर्युक्त अनुशंषाओं को स्वीकार किया गया । Good academic record के संबंध में प्रो. रीटा मेहरा ने विमति दर्ज करायी । सहायक आचार्य के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पाठ्यक्रम निर्माण हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया गया:-** 1. संबंधित संकायाध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष 3. संबंधित विभाग का वरिष्ठ आचार्य 4. कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय का आचार्य	
मद सं. 8	माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना में कार्यालय पत्रांक 162, 165 एवं 167 दिनांक 19.05.18 में विषय विशेषज्ञों व पद का पैनल तैयार करने के लिये डीन पी.जी. तथा विभागाध्यक्ष/प्रोफेसर को निवेदन किया गया था उसके आधार पर निम्नांकित विषयों/पद के पैनल प्राप्त थे:- 1. वनस्पतिशास्त्र 2. प्राणीशास्त्र 3. निदेशक-शोध संलग्न सूची के अनुसार विशेषज्ञों के पैनल पर राजस्थान शिक्षकों एवं अधिकारियों की नियुक्ति हेतु चयन अधिनियम 1974 की प्रथम अनुसूची के स्पष्टीकरण II के प्रावधानान्तर्गत विचार कर अनुशंषा करना ।	संस्थापन
निर्णय	**उपर्युक्त पेनल को स्वीकार किया गया । उक्त पैनल संस्थापन अनुभाग में संधारित होंगे।**	
मद सं. 9	निम्नलिखित अध्ययन बोर्ड/पाठ्यक्रम समितियों की उनके नाम के सम्मुख वर्णित दिनांक को सम्पन्न बैठक की अनुशंषाओं पर विचार करना:-	शैक्षणिक-I

क्र.सं.	संकाय का नाम	अध्ययन बोर्ड/ पाठ्यक्रम समिति का नाम	बैठक दिनांक	परिशिष्ठ
1	विधि संकाय	विधि अध्ययन बोर्ड	25.05.18 एवं 05.06.18	26
2	विज्ञान संकाय	वनस्पतिशास्त्र अध्ययन बोर्ड	29.05.18	27
		रिमोट सेंसिंग एण्ड जियो-इन्फोरमेटिक्स पाठ्यक्रम समिति	28.05.18	28
3	जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन संकाय	जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन पाठ्यक्रम समिति	26.05.18	29

4	समाज विज्ञान संकाय	राजनीति विज्ञान अध्ययन बोर्ड	25.05.18	30
5	कला संकाय	सिंधी पाठ्यक्रम समिति	28.05.18	31
6	शिक्षा संकाय	शिक्षा पाठ्यक्रम समिति	24.05.18	32
		लाइब्रेरी एण्ड इन्फोरमेशन साईस पाठ्यक्रम समिति	25.05.18	33
7	वाणिज्य संकाय	ई.ए.एफ.एम. अध्ययन बोर्ड	24.05.18	34

निर्णय	उपर्युक्त वर्णित अध्ययन बोर्डो/पाठ्यक्रम समितियों की पाठ्यक्रम संबंधी अनुशंषाओं को स्वीकार किया गया ।	
मद सं. 10	विद्या परिषद् की 57वीं बैठक दिनांक 27.09.17 के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन कर अनुमोदन करना। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-35)**	शैक्षणिक-I
निर्णय	पुष्टि की गयी ।	
मद सं. 11	आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्रांकः एफ.4 (406)अकाद/आकाशि/2013-2014/950 दिनांक 6 मार्च, 2018 तथा विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के पत्रों के क्रम में सम्बद्धता समिति स्नातकोत्तर कक्षाओं में सीट अभिवृद्धि के सम्बद्ध में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है:- Maximum possible number of seats to be allowed for following courses: A. All M.Sc. Courses having practical other than Botany, Zoology and Chemistry - 20+10 = 30 No. of section permitted only one. B. M.Sc. (Zoology, Botany and Chemistry) - 30+10 = 40 No. of section permitted only one. C. M.Sc. having no practical - 20+20 = 40 No. of section permitted only one. D. M.A./M.Com. - 40+20 = 60 No. of section permitted only one. अतः सम्बद्धता समिति की उक्त अनुशंषा पर विचार कर निर्णय करना।	शैक्षणिक-II
निर्णय	उपर्युक्त अनुशंषाओं को स्वीकार किया गया ।	

मद सं. 12	क्षेत्रीय शिक्षा संस्था, अजमेर के चार वर्षीय बी.ए. बी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2015-16 में प्रवेशित छात्रों ने द्वितीय वर्ष में सामाजिक विज्ञान विषय के अन्तर्गत इतिहास व भूगोल में से किसी एक विषय को सत्र 2015-16 तथा सत्र 2016-17 के लिए आवंटित कर सबंधित विषय की विशेष परीक्षा आयोजित करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था । इन छात्रों ने स्वीकार किया कि अज्ञानतावश व रूचि अनुसार उन्होंने अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विषय का चयन किया है । शिक्षा पाठ्यक्रम समिति की बैठक दिनांक 15.05.17 की अनुशंसानुसार चूंकि निर्धारित पाठ्यक्रम में इतिहास व भूगोल विषय के चयन का प्रावधान है परन्तु विद्यार्थियों को प्रार्थना के अनुसार राजनीति विज्ञान विषय के स्थान पर भूगोल एवं इतिहास में से किसी एक विषय को बदलने की अनुमति देना संभव नहीं है । अतः उक्त छात्रों की as a special case भूगोल अथवा इतिहास विषयों में से किसी एक विषय से अतिरिक्त विषय के तौर पर परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जा सकता है । उक्त विषय के इच्छुक विद्यार्थियों को नियमित अध्यापन आदि की संबंधित महाविद्यालय सुविधा उपलब्ध करावें तथा विश्वविद्यालय महाविद्यालय की सूचनानुसार विशेष परीक्षा आयोजित करें । उक्त विद्यार्थी वर्तमान में चौथे वर्ष में प्रवेश कर रहे है । अतः उक्त अतिरिक्त विषय में गत तीन वर्षो के अध्यापन एवं परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर निर्णय करना ।	शैक्षणिक-I
निर्णय	उपर्युक्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया ।	
मद सं. 13	बार काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के पत्रांकः BCI:D: Circular No: 8:2016/1834/2016 दिनांक 16.12.2016 के द्वारा विश्वविद्यालयों द्वारा विधि पाठ्यक्रम हेतु तीन वर्षो अथवा कम से कम दो वर्षो की सम्बद्धता एक मुश्त प्रदान करने का आग्रह किया गया है। उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्रांकः प.18(2) शिक्षा-4/2016 दिनांक 16.02.2017 के द्वारा भी सभी राजकीय विधि महाविद्यालयों को तीन वर्ष के लिए एक मुश्त सम्बद्धता प्रदान करने की कार्यवाही हेतु सूचित किया गया है। राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर व भीलवाड़ा ने पत्र प्रेषित कर एक मुश्त सम्बद्धता प्रदान करने का आग्रह किया है। विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में विश्वविद्यालय अध्यादेश 70-ए के प्रावधानानुसार विधि महाविद्यालयों द्वारा प्रति वर्ष सम्बद्धता शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क तथा पाठ्यक्रम से सम्बन्धित दस्तावेज विश्वविद्यालय में जमा करवाये जाने पर निरीक्षणोपरान्त प्रति वर्ष अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि प्रदान की जाती है।	शैक्षणिक-II

	यहां यह भी उल्लेखित है कि राज्य सरकार द्वारा केवल राजकीय विधि महाविद्यालयों के सम्बन्ध में कार्यवाही बाबत् सूचित किया गया है। निजी विधि महाविद्यालयों के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः बीसीआई एवं राज्य सरकार के पत्रों के क्रम में राजकीय विधि महाविद्यालयों में विधि पाठ्यक्रम की दो वर्ष (सत्र 2019-2020 व 2020-2021) की अस्थायी सम्बद्धता दिए जाने के सम्बन्ध में सम्बद्धता समिति निम्नानुसार अनुशंषा करती है:- 1. राजकीय विधि महाविद्यालय विधि पाठ्यक्रम की सम्बद्धता हेतु दो वर्ष की अस्थायी सम्बद्धता वृद्धि हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ दुगुना सम्बद्धता शुल्क व रू. 20,000/- निरीक्षण शुल्क जमा कराना होगा। 2. आवेदन पत्र के साथ बीसीआई/विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदण्डानुसार भौतिक संसाधनों का विवरण, स्टाफ एवं अन्य दस्तावेज आवेदित वर्ष के अनुसार जमा कराने होंगे। अतः सम्बद्धता समिति की उक्त अनुशंषा पर विचार कर निर्णय करना।	
निर्णय	बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के निर्देशों के क्रम में उपर्युक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया ।	
मद सं. 14	अन्य निर्णय ।	
निर्णय	निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में स्वर्ण पदक दिये जाने का निर्णय लियाः- **1- MBA e-commerce** **2- Master in Yoga Science & Therephy Management** उक्त स्वर्ण पदक कम से कम 10 छात्रों के प्रवेश एवं परीक्षा देने की स्थिति में देय होंगे ।	परीक्षा नियंत्रक

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव